ज्ञापन

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ।
द्वारा उपजिलाधिकारी तहसील..................

विषयः– उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांगों के सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 16 जुलाई 2018 के कार्यवृत्त का कियान्वयन कराने विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की वेतन, भत्ते, प्रमोशन, विसंगति, सेवा नियमावली एवं संसाधन सम्बन्धी व अन्य मांगें वर्षो से लम्बित हैं। विवश होकर लेखपाल संघ द्वारा अपनी जायज मांगों के सम्बन्ध में माह जुलाई 2018 में प्रदेश स्तरीय आन्दोलन किया गया था । लेखपाल संघ की मांगों के सम्बन्ध मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 16 जुलाई में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ विचारोपरान्त निर्णय लेते हुये एक माह में कार्यवाही/शासनादेश निर्गत करने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात 02 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने के कारण पुनः मा0 मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2018 को समीक्षा बैठक में तत्काल कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित समस्त विभाग के अधिकारियों को दिये गये थे और इसके बाद भी उ0प्र0 लेखपाल संघ प्रतिनिधिमण्डल द्वारा 03 बार मा0 मुख्य सचिव महोदय से मिलकर प्रगति न होने के सम्बन्ध में संज्ञानित कराया गया, किन्तु मा0 मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों का भी कोई असर नहीं हो रहा है और आज तक सभी मांगें लम्बित हैं। इससे लेखपालों में शासन के प्रति अविश्वास एवं असंतोष उत्पन्न हो रहा है। लेखपाल संघ की प्रमुख मांगें जिन पर कार्यवाही/शासनादेश अपेक्षित है, निम्नवत है–

1. **ए0सी0पी विसंगति–** नई ए0सी0पी0 व्यवस्था के कारण लेखपाल संवर्ग में एक काडर में 2 उपवर्ग बन गये हैं। एक 30.11.1994 से पूर्व नियुक्त लेखपालों का वर्ग जिन्हे 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 4200 जबकि दूसरा 30.11.1994 के बाद नियुक्त लेखपालों का वर्ग जिन्हे 16 वर्ष की समान सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 2800। इस विसंगति को समाप्त करने के लिये अवर अभियन्ता को दी गयी विशिष्ट सुविधा के अनुसार भी लेखपाल संवर्ग में भी विशिष्ट सुविधा प्रदान करते हुये प्रथम ए0सी0पी0 ग्रेड पे 2400 इग्नोर करते हुये ग्रेड पे 2800 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति मा0 राजस्व परिषद एवं मा0 प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वेतन समिति को संदर्भित की गयी है।

Scanned by CamScanner

मा0 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर 2018 को हुई समीक्षा बैठक में मा0 महोदय द्वारा वित्त विभाग के प्रतिनिधि अधिकारी को उक्त विसंगति दूर करने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2. **प्रोन्नति–काडर रिव्यू–** मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 04 व 16 जुलाई 2018 में महोदय द्वारा इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हुये कि लेखपाल की प्रोन्नति 35 से 36 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति के सन्निकट हो पा रही है, यह निर्देश दिये गये थे कि एक काडर रिव्यू समिति का गठन कर इस प्रकार की पद संरचना प्रस्ताव तैयार किया जाये कि लेखपाल की पदोन्नति 5–10 वर्ष की सेवा में हो जाये और पूरे सेवाकाल में कम से कम 3 पदोन्नति मिल जायें। किन्तु खेद का विषय है कि मा0 परिषद का ध्यान मात्र 1000–800 राजस्व निरीक्षक पद सृजित करने तक ही केन्द्रित है जिससे लेखपाल संवर्ग से 3 पदोन्नति तो दूर एक पदोन्नति भी शत प्रतिशत लेखपालों को सुनिश्चित नहीं हो सकती है। मा0 मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के क्रम में व्यापक पद संरचना बदलाव (लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के पदों की संख्या में 3 कर्मचारी के सापेक्ष 1 प्रोन्नत पद के अनुपात में पुनर्गठन एवं लेखपाल से ऊपर के तहसीलदार तक के समस्त पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था) पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। दिनांक 14 जनवरी 2019 को हुई डी0पी0सी0 में दिसम्बर 1982 में नियुक्त लेखपाल भी पहली पदोन्नति (राजस्व निरीक्षक) प्राप्त नहीं कर सके है जबकि 1995 वाले संग्रह अमीन, 1991 वाले चकबन्दी लेखपाल, वर्ष 2000 वाले लिपिक, वर्ष 2008 वाले अध्यापक पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं। मा0 राजस्व परिषद लेखपाल संवर्ग को पदोन्नति के अवसर बढ़ाने पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है बल्कि इसके विपरीत पहले से उपलब्ध पदोन्नति (राजस्व निरीक्षक) के पदों में कटौती करने हेतु राजस्व निरीक्षक जनपद कार्यालय (एल0आर0सी0) के 75 पद लिपिक संवर्ग को देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जिससे लेखपालों में आक्रोश पनप रहा है।

3. **भत्तों में वृद्धि–** लेखपाल संवर्ग को विशेष भत्ता 1500 रूपये, स्टेशनरी भत्ता 750 रूपये प्रतिमाह दिये जाने तथा नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर पेट्रोल/मोटर साईकिल भत्ता दिये जाने पर मा0 मुख्य सचिव की बैठक 04.07.2018 एवं 16.07. 2018 में सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुये वेतन समिति की संस्तुतियों पर वित्त विभाग के निर्णय के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु आज तक भत्ते वृद्धि का कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है जबकि आंगनवाडी, पुलिस आदि अन्य विभागों के भत्तों में वृद्धि कर दी गयी है।

4. **ईडिस्ट्रिक योजना** के तहत प्रति आवेदन 5 रूपये उपलब्ध कराना–इस सम्बन्ध में एक माह में शासनादेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया था परन्तु अभी तक पत्रावली वित्त विभाग में ही लम्बित है जबकि इसमें शासन/सरकार को कोई अलग से वित्तीय व्यवस्था नहीं करनी है अपितु आवेदक द्वारा जमा किये जा रहे यूजर चार्ज में से ही राजस्व विभाग के अंश 5 रूपये को लेखपाल के बैंक खाता/यूजर आई0डी0 में स्थानान्तरित किया जाना है।

5. **अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण**–मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 16 जुलाई 2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय द्वारा 23 अगस्त 2018 को शासनादेश निर्गत कर दिया गया था तथा मा0 परिषद को

Scanned by CamScanner

अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु मा0 राजस्व परिषद द्वारा आवेदन लेने की प्रकिया भी आरम्भ नहीं की गयी जबकि 25 अक्टूबर 2018 को मा0 महोदय की समीक्षा बैठक में परिषद के अधिकारियों द्वारा 15 दिन के अन्दर साफ्टवेयर तैयार कर स्थानान्तरण की आनलाईन प्रकिया प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया था। वर्तमान में लगभग 5500 रिक्त पदों पर नई भर्ती की संभावना है तथा अप्रैल/मई 2019 में लोक सभा निर्वाचन भी होने हैं जिससे स्थानान्तरण की प्रकिया में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है। अतः रिक्त पदों पर अध्याचन एवं लोक सभा चुनाव के पूर्व ही स्थानान्तरण की प्रकिया सम्पन्न कराने की कृपा करें।

6. **पेंशन विसंगति–** वर्ष 1999–2000 की विज्ञप्ति के आधार पर लेखपाल रिक्तियों पर वर्ष 2001 में चयनित एवं वर्ष 2003–04 में प्रशिक्षित लेखपालों को प्रशासनिक विलम्ब के कारण नियुक्ति 01 अप्रैल 2005 के बाद होने के आधार पर पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया। उक्त पेंशन विसंगति दूर करने हेतु मा0 परिषद द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2017 को पुनर्विचार हेतु संस्तुति मा0 प्रमुख सचिव राजस्व अनुभाग–9 को भेजी गयी है जिस पर शासन में राजस्व अनुभाग–9 से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
7. **वेतन उच्चीकरण–** लेखपाल के कार्य में वृद्धि एवं विशिष्ट व तकनीकी महत्व के दृष्टिगत प्रारम्भिक ग्रेड पे 2000 से बढ़ाकर ग्रेड पे 2800 उच्चीकृत करने की संस्तुति मा0 राजस्व परिषद एवं मा0 प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा वेतन समिति को संदर्भित की गयी है। मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 04.07.2018 व 16.07.2018 में वेतन समिति की संस्तुति पर वित्त विभाग निर्णय के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही का निर्णय लिया गया है और वेतन समिति की संस्तुति में सम्मिलित न होने की स्थिति मा0 मुख्य सचिव समिति के द्वारा कराने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। किन्तु इस बिन्दु पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
8. **लेखपाल नियमावली में संशोधन यथा पदनाम, शैक्षिक अर्हता, स्थानान्तरण आदि संशोधनों को समाहित करते हुये राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को प्रख्यापित किया जाना–** पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक, शैक्षिक अर्हता स्नातक, विशिष्ट परिस्थितियों में निजी अनुरोध पर पूरे प्रदेश में मण्डल के बाहर अन्य जनपदों में स्थानान्तरण परिषद से किये जाने आदि संशोधन करने का निर्णय मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में मा0 परिषद की बैठक दिनांक 03.05.2016 व 31.10.2017 में लिया जा चुका है। उक्त अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को प्रख्यापित किया जाना है। शासन एवं परिषद अनिवार्य अर्हता में कम्प्यूटर ज्ञान के लिये ट्रिपल सी प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने सम्बन्धी नियमावली संशोधन की कार्यवाही कर रहे हैं किन्तु पूर्व में लिये जा चुके निर्णयों के कम में प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
9. **लैपटाप व स्मार्टफोन उपलब्ध कराना–** बजट आवण्टन के बाद भी 02 वर्ष से लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
10. काप कटिंग एवं कृषि गणना मानदेय वृद्धि– मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक के द्वारा लिये गये निर्णय के कम में काप कटिंग मानदेय 100 रूपये प्रति प्रयोग से बढ़ाकर 260 रूपये व कृषि गणना मानदेय 1000 रूपये प्रति राजस्व ग्राम से बढ़ाकर 2000 रूपये वृद्धि का निर्णय लिये जाने के पश्चात भी अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।

Scanned by CamScanner

11. **निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव–** निर्वाचन कर्मी घोषित करने एवं निर्वाचन के 6 माह पूर्व से निर्वाचन अधिसूचना समाप्त होने तक की अवधि में लेखपाल से लिये जाने वाले विविध निर्वाचन कार्यों के लिये निर्वाचन का पदनाम सृजित करते हुये मानदेय/ एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने हेतु लिये गये निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
लेखपाल द्वारा मतदान पूर्व मतदाता सूची चेक करना, पैकेटिंग करना, ई0वी00एम0 सेटिंग, पोलिंग पार्टी को सामग्री वितरण, मतदान केन्द्रो पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व प्रबन्धन तथा मतदान बाद ई0वी0एम0 सहित समस्त मतदान सामग्री पोलिंग पार्टियों से प्राप्त करना एवं स्टोर कराना एवं मतगणना में टैबुलेशन, प्रबन्धन आदि कार्य किये जाते हैं किन्तु इन कार्यों के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा कोई विशिष्ट पदनाम न दिये जाने के कारण लेखपालों को निर्वाचन कर्मी के अन्तर्गत कोई लाभ यथा मानदेय, दुर्घटना की स्थिति में कैशलेश चिकित्सा व 10 लाख रूपये अनुग्रह राशि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः इन कार्यों के लिये निर्वाचन आयोग से एक निर्वाचन पद सृजित कर लेखपाल को निर्वाचन कर्मी घोषित करने एवं तत्सम्बन्धी समस्त लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्ताव एवं रजिस्ट्रार कानूनगो आदि की भांति एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाना था किन्तु अभी तक प्रेषित नहीं किया गया है।
बूथ निर्माण व्यय में लेखपालों को 130 के स्थान पर 1000 रूपये दिये जाने विषयक–संज्ञान में आया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त राशि 130 से बढ़ाकर मात्र 200 रूपये की है जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा ही निर्धारित मजदूरी 350 रूपये प्रतिदिन है। बांस, बल्ली, रस्सी आदि की लागत अलग से लगती है। जबकि उत्तराखण्ड में वर्ष 2014 में ही 500 रूपये का भुगतान किया गया है। अतः वर्तमान में उक्त राशि कम से कम 1000 रूपये प्रति बूथ की जाये।

12. **आधारभूत सुविधायें एवं संसाधन–** उक्त मांग के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में मा0 परिषद द्वारा 31 जुलाई 2018 को लेखपालों के बैठने हेतु भवन आवण्टित करने एवं फर्नीचर, शौचालय आदि की व्यवस्था हेतु दिनांक 05 जुलाई 2018 के परिषदादेश द्वारा 1 लाख रूपये प्रयोक्ता प्रभार से व्यय करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये थे किन्तु आज तक जनपदों पर इसका अनुपालन नहीं किया गया।

महोदय शासन एवं परिषद के आश्वासन पर आन्दोलन स्थगन किये जाने के 6 महीने व्यतीत हो जाने एवं मा0 महोदय द्वारा 25 अक्टूबर 2018 को समीक्षा बैठक में प्रगति पर नाराजगी व्यक्त किये जाने और इसके बाद भी बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद उ0प्र0 लेखपाल संघ की मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रगति न होने के कारण लेखपाल संवर्ग में अतीत के कटु अनुभवों के दृष्टिगत आशंका एवं आक्रोश उ0प्र0 लेखपाल संघ प्रदेश की समस्त तहसीलों पर ज्ञापन देकर एवं कैंडिल मार्च निकालकर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। इसके बाद भी शासनादेश निर्गत न होने की स्थिति में पूर्व से घोषित आन्दोलन निम्नवत आगे बढ़ाया जायेगा।

12 फरवरी 2019 दिन मंगलवार– जनपद मुख्यालय/कलेक्ट्रेट पर जनपद के समस्त लेखपाल एकत्रित होकर जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री के नेतृत्व में मोटर सायकिल रैली निकालेंगे।

Scanned by CamScanner

19 फरवरी 2019 दिन मंगलवार– प्रातः 10 बजे अपनी–अपनी तहसीलों पर समस्त लेखपाल एकत्रित होकर यज्ञ का आयोजन करेंगे।

महोदय उपरोक्त अवधि में लेखपाल समस्त शासकीय कार्य करते हुये उपरोक्त कार्यकमों के माध्यम से अपनी समस्याओं के प्रति शासन एवं परिषद का ध्यानाकर्षण करेंगे। मात्र पूर्व के घोषित आनलाईन वरासत व हैसियत का बैहिष्कार जारी रहेगा **किन्तु 19 फरवरी 2019 तक मांगों पूरी न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश लेखपाल** संघ 17 जुलाई 2018 **को स्थगित किये गये आन्दोलन को किसी भी समय पूर्ण रूप से आरम्भ करने को बाध्य होगा जिसमें निर्वाचन कार्यो का बहिष्कार भी शामिल होगा।**

अतः महोदय से अनुरोध है कि मांगों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में महोदय स्वयं हस्तक्षेप करते हुये मा0 मुख्य सचिव महोदय की बैठक दिनांक 16 जुलाई 2018 के कार्यवृत्त अनुसार समस्त बिन्दुओं तत्काल शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें।

संस्था महोदय की सदैव आभारी रहेगी।

तहसील अध्यक्ष **तहसील मंत्री**

Scanned by CamScanner